# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
## बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.– 2425/2017

उनवान

1 शान्तिदास पिता शोभादास, साधु निवासी आपलियास, तहसील हुरडा।
–वादी

बनाम

1 रामपाल पिता चेतनदास साधु, निवासी आपलियास, तहसील हुरडा ।
2 राधेश्याम पिता चेतनदास साधु, निवासी आपलियास, तहसील हुरडा।
3 श्रीमति नर्बदा देवी पत्नि चेतनदास नि0 आपलियास तहसील हुरडा ।
4 श्रीमति माया पत्नि पूरणमल जाट, नि0 गलोरियाँ का खेडा तह0हुरडा।
5 रामचन्द्रदास पिता शोभादास नि0 आपलियास, तह0 हुरडा ।
6 रामप्रसाद पिता शोभादास नि0 आपलियास , तहसील हुरडा ।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सुरेश दाधीच — वकील वादी
श्री राजकुमार — वकील प्रतिवादी –2
श्री विवेक बम्ब — वकील प्रतिवादी संख्या– 1, 3, 4, 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा

## –ःनिर्णयः–

दिनांक– 23.05.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के दादाजी व प्रतिवादी संख्या– 03 के ससूर और प्रतिवादी संख्या– 05, 06 के पिताजी श्री शोभादास पिता कालुदास बैरागी निवासी आपलियास तहसील हुरडा जिला भीलवाडा के खातेदारी एवं कब्जेयाबी निम्मलिखित आराजीयात स्थित थी, वाके आपलियास पटवार हल्का आपलियास तहसील हुरडा जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 खाता संख्या– 180 आराजी नम्बर– 09, 442, किता 2 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित थी एवं वाके ग्राम गरोलिया का खेडा पंचायत रूपाहेली तहसील हुरडा जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 खाता संख्या– 77 आराजी नम्बर– 300, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318, किता 09 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि

कलेक्टर गुलाबपुरा (भी)लवाड़ा

Scanned by CamScanner

शोभा पिता कालुदास बैरागी आपलियास के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 05, 06 निहित हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है ।

2– शोभादास के जीवनकाल में ही चेतन दास मूलदास के गोद चला गया था । उपरोक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार स्व. शोभादास पिता कालुदास बैरागी के तमाम वारिसों में मात्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 05 व 06 ही विधिक उतराधिकारी है तथा उनके निधन के पश्चात विरासती तौर पर उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है ।

3– प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के पिता प्रतिवादी संख्या– 02 के पति श्री चेतनदास जो अपने जायन्दा पिता शोभादास के जीवनकाल में ही मूलदास के गोद चला गया था ने स्थानीय राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करते हुये तथ्य छुपाते हुये अपने नाम पर उक्त दोनों आराजीयात (ग्राम आपलियास व गरोलिया का खेडा) नामान्तरकण अपने नाम फैसल करवाया जबकि धारा– 12 हिन्दु दतक तथा भरण पोषण अधिनियम के अनुसार किसी अपत्यक के गोद चले जाने पर उसके अधिकार जायन्दा पिता की सम्पति में समाप्त हो जाते है और दतक परिवार में उसका जन्म होता है एवं चेतनदास गोदपुत्र मूलदास की मृत्य उक्त दोनो आराजीयात में प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिली भगत करते हुये एव तथ्य को छूपाते हुये अपने पिता एवं पति के नाम आई आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरुद्ध होकर न्याय की मंशा के विपरीत है ।

4 मूलदास पिता कालुदास की मृत्यु के पश्चात मूलदास की आराजीयात का नामान्तकरण उसके गोदपुत्र चेतनदास पुत्र मूलदास के नाम पर खुला इस प्रकार प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या– 3 के पति चेनतदास जायन्दा पिता शोभादास और गोद पिता मूलदास दोनो की आराजीयात/सम्पति पर अधिकार कर रखा था एवं चेतनदास की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों एवं पत्नि ने भी तथ्य छुपाते जालसाजी करते हुये अपने नाम उक्त दोनो आराजीयात का नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जो कानून एवं न्याय की मंशा के विपरीत है ।

5 प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 ने उक्त आराजीयात का अपने नाम गलत दर्ज होने मात्र से बिना किसी हक अधिकार के वाके ग्राम गरोलिया का खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– – 300, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318, किता 09 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि में 1/6 हिस्से को प्रतिवादी संख्या– 04 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा बैचान कर दिया जो विधि विरुद्ध बेचान होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 05 व 06 के हकों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी है और वादी उक्त विकय पत्र को शून्य प्रभावी घोषित कराते हुये अपनी पुश्तैनी आराजीयात में अपना हक हिस्सा दर्ज कराने के लिए कानूनन अधिकारी हैं इस हेतु वादी ने हाल में ही हल्का पटवारी से मिले तथा राजस्व रेकार्ड की जानकारी ली तो पता चला कि

क कलेक्टर
O.) गुलाबपुरा
-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आरजीयात उपरोक्त प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के नाम बिना किसी हक अधिकार के राजस्व रेकार्ड में बहेसियत खातेदारी थी और प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 ने उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या– 4 को विक्रय कर दी जबकि उक्त आराजीयात से कोई सरोकार एवं वास्त नही है । वादी के बीमार हो जाने की वजह से माननीय न्यायालय के समक्ष आज वाद पत्र पेश कर रहा है ।

6 प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 05 व 06 को अपने विरासती अधिकार से वंचित करने व उनको हक हिस्सा नही देते की गरज से आराजीयात को दिगर को फरोक्त कर विक्रय पत्र पंजीयत करवा दिया जबकि उक्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 05 व 06 काबिज चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या– 04 अवैध विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजीयात पर अब जबरन कब्जा करने व वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसकी जानकारी वादी को हाल ही हुई इस हेतु वादी प्रतिवादीगण के नाजायज एवं अवैधानिक कृत्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रुकवाने के अधिकारी है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7 वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से रुकवाने का अधिकारी है । क्योंकि यदि प्रतिवादीगण कलम नम्बर– .1 में वर्णित आराजीयात जो मौरुसी / पुश्तैनी है को अन्य को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर देंगे तो वादीगण अपनी मौरुसी आराजीयात से अर्थात् विरासती अधिकारों से वंचित हो जायेगा एवं वादी के समक्ष भूखों मरने जैसी नोबत पेश आयेगी व वादी हमेशा अपने विरासती अधिकारों से वंचित हो जायेगा।

8 वादी अपनी मौरुसी आराजीयात में प्रतिवादी संख्या– 01 से 02 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या– 03 के पति चेतनदास एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के नाम विधि विरुद्ध तरिके से खुले गये नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या– 04 को किये गये विक्रय पत्र को शून्य प्रभावी घोषित करवा कर स्वयं वादी अपने एवं प्रतिवादी संख्या– 05 व 06 के नाम सहित विरासती तौर पर प्राप्त करना चाहते है इस हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।

9 वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण कलम नम्बर– 01 में विर्णित आराजीयात जो वादी की कब्जेयाबी व मौरुसी हक अधिकारों से हक हकूकशुदा है, पर जबरन कब्जा करने व दिगर को बय, बैचान, वसीयत कर देने की प्रतिवादीगण की एहलानिया धमकी को रुकवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि यदि वादी के पक्ष में स्थायी निशेधाज्ञा पारित नही की गयी तो प्रतिवादीगण अवैध विक्रय के आधार पर जबरन कब्जा कर आराजी को दिगर को रहन, बय, बक्षीस , कर ऋण इत्यादि प्राप्त कर कब्जा हस्तान्तरण करने की कार्यवाही अमल में ला सकते है जिसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना वादी के हक एवं अधिकारों पर निहायत आवश्क है ।

10 वाद हेतुक चेतनदास द्वारा अपने नाम आये विधि विरुद्ध तरीक से नामान्तकरण खुलवानें दिनांक 04.05.2010 व दिनांक 05.06.2010 एवं

कलेक्टर
...) गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 द्वारा अपने नाम पर विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तकरण खुलवाने दिनांक 26.05.2016 और 19.05.2016 एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या– 04 को विक्रय करने एवं हल्का पटवारी द्वारा वादी को जानकारी होने के दिन से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

11 अन्त में अंकित किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण को घोषणात्मक डिकी इस आशय की सादिर पारित फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 04 हक में निष्पादित कर पंजीयन करवाया गया विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी है। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या– 03 के पति चेतनदास पिता मूलदास द्वारा एवं चेतनदास की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या– 01 से 03 द्वारा अपने नाम पर खुलवाये गये विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तकरण को वादी एवं प्रतिवादी संख्या–05 व 06 के नाम पर पुनः दर्ज करने की डिकी पारित फरमायी जावें । बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की पारित फरमायी जावें कि कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात के वादी काश्तकार होकर मुतदाविया आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं दस्तदांजी एवं बल पूर्वक कब्जा करने , कराने से रुके रहे तथा रहन, बय , बक्षीस करने दिगर को कब्जा हस्तान्तरण करने व किसी प्रकार का दस्तावेज पंचियन करने कराने से रुके रहे तथा प्रतिवादीगण उनके रिश्तेदार नौकर, चाकर ऐजेण्ट आदि के मार्फत किसी प्रकार का नाजायज कृत्य नही करें करावें । यदि दौराने वाद प्रतिवादी उपरोक्त आराजीयात से वादी को बेदखल करने में कामयाब हो जावें तथा कब्जा हस्तान्तरण कर अन्य दिगर के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित करा दिया जावें तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से पुनः वाद दायरी की स्थिति में लायी जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

Web Copy - Not Official

12 प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 3 4 6 की और से श्री विवेक बम्ब ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । तथा प्रतिवादी संख्या– 2 की और से अण्डरटेकिंग श्री राजकुमार वैष्णव के द्वारा वकालतनामा पेश करना चाहा ।

13 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट रुपाहेली पर पेश हुई । वादी शान्तिदास उनके अधिवक्ता श्री सुरेश दाधीच उपस्थित । प्रतिवादी रामपाल, राधेश्याम, माया, रामप्रसाद व उनके अधिवक्ता श्री विकेक बम्ब उपस्थित । प्रतिवादी संख्या– 2 की और से वकालतनामा श्री राजकुमार वैष्णव ने पेश कर जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया ।

कलेक्टर
) गुलाबपुरा
भीलवाड़ा

14 वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के दादा प्रतिवादी संख्या– 5 व 6 के पिता

Scanned by CamScanner

शोभादास की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है । शोभादास के जीवनकाल में ही चेतनदास , शोभादास के भाई मूलदास के गोद चला गया था । और मूलदास की मृत्यु के पश्चात मूलदास की आराजी का नामान्तकरण चेतनदास के नाम खुला फिर भी चेतनदास ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर गोद के तथ्यों का छिपाकर ग्राम आपलियास व गरोलिया खेडा की भूमि में अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिये । जबकि चेतनदास मूलदास के गोद चले जाने से उसका शोभादास की सम्पति में कोई हक अधिकार नही रहते है । इस गलत व अवैध नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने ग्राम गरोलिया खेडा की आराजीयात में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 4 को बेचान कर दी जो विधि विरुद्ध होकर वादी व प्रतिवादी संख्या– 5 व 6 के हकों पर शून्य प्रभावी है । अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 के द्वारा चेतनदास की मृत्यु के बाद शोभादास की आराजीयात में खुलवाये गये नामान्तकरण को शून्य प्रभावी घोषित कर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या– 5 व 6 के नाम पुनः दर्ज करवायी जावें तथा प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 के हक में किया गया विकय वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हक व अधिकार पर शून्य घोषित फरमाया जावें ।

Web Copy – Not Official

15 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात में चेतनदास मूलदास के गोद चले जाने से उसका 1/2 हिस्सा है और 1/2 हिस्सा शोभादास के वारिसों का है । जो भूमि प्रतिवादी 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 को बैचान की वह भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के खातें में से कम की जाकर शेष भूमि के लिये वादी का वाद डिकी किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है ।

16 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है –

17 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 मौजा आपलियास तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 09, 442 किता 02 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा भूमि शोभादास पिता कालुदास साधु साकिन देह के नाम दर्ज होना तथा नामान्तरकण संख्या– 656 दिनांक 04.05.2010 विरासत से चेतनदास, शान्तिदास , रामचन्द्र , रामप्रसाद पिता शोभादास का नाम दर्ज रिकार्ड आना तथा ग्राम गरोलिया खेडा पटवार हल्का रुपाहेली की आराजी नम्बर– 300, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318 किता 09 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि शोभादास बेरागी के नाम दर्ज होना तथा नामान्तकरण संख्या– 338 दिनांक 05.06.2010 विरासत से चेतनदास, शान्तिदास , रामचन्द्र , रामप्रसाद पिता शोभादास का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है ।

कलेक्टर
(...) गुलाबपुरा
...-भीलवाड़ा

18 यहॉ वादी का कथन है कि चेतनदास शोभादास के जीवनकाल में ही मूलदास के गोद चला गया था , इसलिये उसका शोभादास की सम्पति में कोई हक अधिकार नही है । अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा ग्राम आपलियास की जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के

Scanned by CamScanner

अनुसार आराजी नम्बर– 618/539 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा तथा 537/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि चेतनदास पिता मूलदास साधु के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । उक्त जमाबन्दी से यह तो स्पष्ट है कि चेतनदास मूलादास के गोद चले जाने से मूलदास की भूमि चेतनदास के नाम दर्ज हुई है।

19 पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गरोलिया खेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादग्रस्त भूमि किता 9 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि में चेतनदास की विरासत से नामान्तकरण संख्या– 395 दिनांक 26.05.2016 से रामपाल, राधेश्याम पिता चेतनदास, नर्बदा पत्नि चेतनदास का नाम दर्ज आना तथा उनके द्वारा बैचान करने से नामान्तकरण संख्या– 417 दिनांक 20.10.2016 से रामपाल, राधेश्याम, नर्बदा हिस्सा 1/6 के बजाय माया पत्नि पूरणमल जाट साकिन देह 20/154 दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है । प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के पिता चेतनदास व उनका कोई हक हिस्सा नही होते हुये भी उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 01 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या– 4 को किया गया है जो वादी के हक अधिकारों पर शून्य प्रभावी होने से वादी वादग्रस्त भूमि में से रामपाल, राधेश्याम, व नर्बदा का नाम हटाने के अधिकारी पाये जाते है ।

20 चूंकि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 4 को किये गये विक्रय बैचान से नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 4 के नाम खुल चुका है । और वादी व प्रतिवादी सहमत है कि प्रतिवादी संख्या– 4 को विक्रय की गई भूमि प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के खाते में से कम कर दी जावें । तदनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

## –: निर्णय :–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा गरोलिया खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 300, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318 किता 09 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार रामपाल, राधेश्याम, पिता चेतनदास , नर्बदा पत्नि चेतनदास का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा मौजा आपलियास की आराजी नम्बर– 537/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि में शान्तिदास, रामचरणदास, रामप्रसाद पिता शोभादास साधु को 01 बीघा भूमि के लिये खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें । तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुली लोक अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
**सहायक कलेक्टर**
**(S. D. O.) गुलाबपुरा**
**जिला-भीलवाड़ा**

Scanned by CamScanner

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

## केम्प कोर्ट – रुपाहेली

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– **2425/2017**

1. शान्तिदास पिता शोभादास, साधु निवासी आपलियास, तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 रामपाल, राधेश्याम पिता चेतनदास साधु, श्रीमति नर्बदा देवी पत्नि चेतनदास, निवासीयान आपलियास, श्रीमति माया पत्नि पूरणमल जाट, निवासी गलोरियॉ का खेडा, रामचन्द्रदास पिता शोभादास, रामप्रसाद पिता शोभादास निवासी आपलियास तहसील हुरडा, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

–प्रतिवादीगण

**प्रेशिति:–**

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री सुरेश दाधीच प्रतिवादी की ओर से श्री राजकुमार, श्री विवेक बम्ब की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा गरोलिया खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 300, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 318 किता 09 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार रामपाल, राधेश्याम, पिता चेतनदास, नर्बदा पत्नि चेतनदास का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा मौजा आपलियास की आराजी नम्बर– 537/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि में शान्तिदास, रामचरणदास, रामप्रसाद पिता शोभादास साधु को 01 बीघा भूमि के लिये खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें। यह आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

| वादी | रूपये | पैसे | प्रतिवादी | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 03 | 00 | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 02 | 00 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 01 | 00 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 01 | 00 |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 06 | 00 | 3. प्लीडर की फीस | 00 | 00 |
| | 00 | | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 |
| 4. रूपये पर लीडर की फीस | 00 | | 5. आदेशिका की तामील | 00 | 00 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 | 6. कमिश्नर की फीस | | 00 |
| 6.कमिश्नर की फीस–तलवाना | 05 | | | | |
| 7. आदेशिका की तामील | 00 | | | | |
| 8. स्टाम्प | 00 | | | | |
| योग | 15 | 00 | | 03 | 00 |

Scanned by CamScanner